भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई/ / Andheri (E), Mumbai – 400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294756
ई-मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

परिपत्र संख्या 11 /2024

विषयः अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा अपना अधिकाधिक सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन आदि कार्य) राजभाषा हिंदी में करने के संबंध प्रोत्साहन योजना।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के उप निदेशक (रा.भा.) के दिनांक 03.04.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11015/2/2018 के साथ संलग्न विशेष प्रोत्साहन (वार्षिक) योजना के अनुसरण में इस कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में मूल रूप से हिंदी टिप्पण/आलेखन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उक्त योजना लागू की जाती है।

सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी करने के लिए लागू प्रोत्साहन योजना का विवरण इस प्रकार हैः-

योजना का क्षेत्र

यह विशेष प्रोत्साहन योजना वाणिज्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए है, तथापि, विभाग के अंतर्गत आने वाले संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों/ बोर्डों, संस्थानों तथा परिषदों द्वारा इसे अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भी लागू करना अपेक्षित होगा।

पात्रता

इस विशेष प्रोत्साहन योजना में वे सभी अधिकारी /कर्मचारी भाग ले सकेंगे जो अपना समस्त सरकारी कामकाज (टिप्पण, आलेखन, रजिस्टर में प्रविष्टियां, लेखा बहियों, सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां तथा अन्य कार्य जिसका सत्यापन किया जा सके) हिंदी में करते हैं। अधिकारी/कर्मचारी संलग्न प्रपत्र में अपने कामकाज का लेखा -जोखा रखेंगे और इस पर प्रत्येक माह अपने उच्च अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करवाएंगे।

योजना में भाग लेने के लिए हिंदी भाषी अधिकारी /कर्मचारी द्वारा वर्ष के दौरान कम से कम 20,000 (बीस हजार) शब्द और हिंदीतर भाषी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कम से कम 10,000 (दस हजार) शब्द हिंदी में लिखे गए हों।

पुरस्कार

इस योजना के तहत अपना समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नलिखित अनुसार नकद पुरस्कार दिया जाएगाः

श्रेणी-I

हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए

प्रथम पुरस्कार (10 पुरस्कार) --- प्रत्येक 5000/- रूपये
द्वितीय पुरस्कार (13 पुरस्कार) --- प्रत्येक 4000/- रूपये
तृतीय पुरस्कार (17 पुरस्कार) --- प्रत्येक 3000/- रूपये

श्रेणी-II

हिंदीतर भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए

प्रथम पुरस्कार (5 पुरस्कार) --- प्रत्येक 5000/- रूपये
द्वितीय पुरस्कार (7 पुरस्कार) --- प्रत्येक 4000/- रूपये
तृतीय पुरस्कार (8 पुरस्कार) --- प्रत्येक 3000/- रूपये

(केवल वे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया है, हिंदीतर भाषी श्रेणी में शामिल है।)

उपरोक्त किसी भी श्रेणी के प्रतिभागी कम होने की स्थिति में दूसरी श्रेणी के पात्र प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए जा सकते हैं।

मूल्यांकन समिति

विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों का निर्णय एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन समिति में राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी , अध्यक्ष और निदेशक /उप सचिव/अवर सचिव/उप निदेशक/सहायक निदेशक स्तर के तीन अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार बदलाव किया जा सकता है।

योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां का मूल्यांकन करने के लिए 100 अंक रखे जाएंगे जिनमें से हिंदी किए गए कामकाज की मात्रा के लिए 70 अंक तथा विचारों की स्पष्टता और भाषा शैली /गुणवत्ता के लिए 30 अंक होंगे।

मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वसामान्य होगा तथा इस संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। वाणिज्य विभाग के संबंद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा अपने-अपने बजट प्रावधान से व्यय किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पुरस्कारों पर होने वाला व्यय वाणिज्य विभाग द्वारा अपने बजट प्रावधान से किया जाएगा।

उक्त योजना में भाग लेने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए नीचे दिए गए प्रोफॉर्मा में हिंदी टिप्पण/आलेखन के काम की मासिक विवरणी रखनी आवश्यक है:-

<u>वाणिज्य विभाग के अधिकरियों/कर्मचारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना प्रपत्र</u>

1. अधिकारी/कर्मचारी का नामः
2. पदनामः

3. अनुभागः

4. मातृभाषाः

क्र.सं.	माह	फाइलों/रजिस्टरों की कुल संख्या जिनमें हिन्दी में काम किया गया	फाइलों में हिन्दी में लिखे गए टिप्पण/ आलेखन के शब्दों की संख्या	रजिस्टर में लिखे गए शब्दों की संख्या	अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर

यह योजना वित्त वर्ष 2024-2025 से लागू होगी।

सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे इस योजना में भाग लें तथा ऊपर दिए गए प्रोफॉर्मा में वित्त वर्ष अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 के दौरान हिंदी में किए गए कार्यों का विवरण निर्धारित प्रोफॉर्मा में राजभाषा अनुभाग को भिजवाएं ताकि इसके आधार पर उक्त प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कार प्रदान किए जा सकें।

(डॉ. प्रसाद वरवंटकर)
उप विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़, मुंबई

फा.सं.सीप्ज़-सेज़/प्रशा./एनएंडडी/78/16-17/05691

दिनांकः 07/05/2024

प्रतिः सभी अधिकारी तथा कर्मचारी, सीप्ज़-सेज़

Digitally Signed by Prasad Varwantkar
Date: 07-05-2024 17:55:34
Reason: Approved

प्रतिलिपिः

1. लेखा अनुभाग, सीप्ज़-सेज़ - सूचनार्थ
2. प्रशासन अनुभाग, सीप्ज़-सेज़ - सूचनार्थ

भारत सरकार / *Government of India*
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / *Ministry of Commerce & Industry,*
विकास आयुक्त का कार्यालय/ *Office of the Development Commissioner,*
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / *SEEPZ-Special Economic Zone,*
अंधेरी (पूर्व), मुंबई/ / *Andheri (E), Mumbai – 400 096*
टेलि. / *Tel. : 022-28294756*
ई-मेल / *E-mail: dcseepz-mah@nic.in,* वेबसाइट / *Website: www.seepz.gov.in*

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Circular No. 11 /2024

Subject: Incentive scheme regarding officers and employees doing more and more of their government work (noting/drafting etc.) in the official language Hindi.

In pursuance of the Special Incentive (Annual) Scheme attached with the Office Memorandum No. 11015/2/2018 dated 03.04.2024 of the Deputy Director (Official Language), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi, the above scheme is implemented to encourage the officers and employees of this office to use Hindi noting/drafting in their official work.

The details of the incentive scheme applicable for noting/drafting originally in Hindi in Government work are as follows:-

Scope of the Scheme

This special incentive scheme is for the officers/employees of the Commerce Department, however, the attached/subordinate offices, undertakings/boards, institutions and councils under the department will be required to implement it for their officers/employees also.

Eligibility

All those officers/employees who do all their government work (noting, drafting, entries in registers, accounting books, service registers and other work which can be verified) will be able to participate in this special incentive scheme. Officers/employees will maintain an account of their work in the attached form and will get it countersigned by their superior every month.

To participate in the scheme, at least 20,000 (twenty thousand) words should be written in Hindi by Hindi speaking officers/employees and at least 10,000 (ten thousand) words by non-Hindi speaking officers/employees during the year.

Prizes

Under this scheme, officers/employees who do all their government work in Hindi will be given cash rewards as follows:

Category-I
For Hindi speaking officers/employees
First Prize (10 Prizes) --- Rs. 5000/- each
Second Prize (13 Prizes) --- Rs. 4000/- each
Third Prize (17 Prizes) --- Rs. 3000/- each

Category-II

For non-Hindi speaking officers/employees
First Prize (5 Prizes) --- Rs. 5000/- each
Second Prize (7 Prizes) --- Rs. 4000/- each
Third Prize (8 Prizes) --- Rs. 3000/- each

(Non-Hindi speaking category includes only those officers/employees whose mother tongue is Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali, Oriya or Assamese.)
In case of shortage of participants in any of the above categories, prizes may be awarded to eligible participants of another category.

Assessment Committee

The awards to be given under the Special Incentive Scheme will be decided by an Assessment Committee. In the assessment committee, a senior officer of the level of Joint Secretary, who looks after the implementation of the official language, the Chairman and three officers of the level of Director/Deputy Secretary/Under Secretary/Deputy Director/Assistant Director can be the members of this committee. Changes may be made as per the availability of officers in attached/subordinate offices/undertakings etc.

Under the scheme, 100 marks will be kept for evaluating the entries, out of which 70 marks will be earmarked for the quantum of work done in Hindi and 30 for clarity in expression of thoughts and language style/quality.

The decision of the evaluation committee will be final and bound to all. Any representation received in this regard will not be considered. The expenditure will be incurred by the attached/subordinate offices/undertakings etc. of the Commerce Department from their respective budget provisions. The expenditure on awards under the scheme will be borne by the Commerce Department from its budget provision.

It is necessary for the officers and employees participating in the said scheme to maintain monthly statement of Hindi noting/drafting work in the proforma given below:-

Special Incentive Scheme Form for Officers/Employees of Commerce Department
1. Name of the officer/employee:
2. Designation:
3. Section:
4. Mother tongue:

S.No.	Month	Total No. of files & Registers where in work was done in Hindi	No. of words of notes/drafts written in Hindi in the files	Number of words written in registers	Signature of Section Officer

This scheme will be implemented from the financial year 2024-2025.

All officers and employees are informed that they should participate in this scheme and send the details of the work done in Hindi during the financial year April, 2024 to March, 2025 in the prescribed proforma to the Official Language Section in the above given proforma so that on its basis awards can be given as per the incentive scheme.

Digitally Signed by Prasad Varwantkar
Date: 07-05-2024 17:56:05
Reason: Approved

(Dr. Prasad Varwantkar)
Deputy Development Commissioner,
SEEPZ-SEZ, Mumbai

F.No.SEPZ-SEZ/Admn./N&D/78/16-17/05691 Date:07/05/2024

To:
All Officers and Employees, SEEPZ-SEZ

Copy:
1. Accounts Section, SEEPZ-SEZ - For Information
2. Administration Section, SEEPZ-SEZ - For Information